150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान
dlrminority@gmail.com
दूरभाष न: 0141-2711939, 2711978

भीम BHIM

क्रमांकः-एफ 4 (6)/अ.स.नि/प्री-मैट्रिक/ 2021-22/ 9294

दिनांकः- 18/11

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

सादर विशेष ध्यानार्थ

विषयः- अल्पसंख्यक छात्रवृति हेतु एनएसपी पोर्टल पर 53 प्रतिशत कॉलेजों/शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन, केवाईसी, अपडेशन एवं आधार आथेन्टीफिकेशन नहीं होने के क्रम में।

संदर्भः- शासन सचिव, अ.स.मा.वि. का अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ 4 (6) नि.अ.मा.वि./पूर्व छात्रवृति/छात्रवृति/2011-22/7478 दिनांक 06.10.2021 एवं इस कार्यालय का कमांक एफ 4 (6) अ. मा.वि./प्री-मैट्रिक/2021-22/4713 दिनांक 31.08.2021, 8322 दिनांक 01.11.2021 व दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा चाही गई टिप्पणी-वीसी भारत सरकार दिनांक 15.11.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को भारत सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति प्रदान की जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति कक्षा 11 से पीएचडी एवं अन्य एकेडमिक पाठ्यक्रमों तथा मैरिट कम मीन्स छात्रवृति व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संस्थाओं के माध्यम से आवेदन करना होता है। इसके लिये इन संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अपडेशन एवं आधार आथेन्टीफिकेशन होना अनिवार्य है।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक 53 प्रतिशत महाविद्यालय एवं संस्थाएँ (Colleage/Institute) KYC अपडेशन एवं आधार सत्यापित नहीं हुआ है। जिलेवार KYC एवं आधार सत्यापन का विवरण संलग्न है। स्पष्ट है कि अभी तक 53 प्रतिशत संस्थाऐं एन.एस.पी पोर्टल पर KYC Updated एवं Aadhar authenticationted नहीं है। जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राऐं छात्रवृति हेतु आवेदन कर पाने से बड़ी संख्या में वंचित हो रहे है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से केवल 18,933 एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृति से केवल 1457 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राऐं ही लाभान्वित हो सकी थे।

इस संदर्भ में अब जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में घोषणा की गई है कि "प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना से वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को भी छात्रवृति प्रदान की जायेगी" के क्रम में अधिक से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि समयबद्ध रूप से सतत् मॉनिटरिंग के द्वारा समस्त महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं का पंजीयन, केवाईसी एवं आधार आथेन्टीफिकेशन करवाया जायें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिना रजिस्ट्रेशन, केवाईसी एवं आधार आथेन्टीफिकेशन कार्य के छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन कर पाना असंभव होगा। इस कार्य को एक सप्ताह में अभियान चलाकर पूर्ण करना आवश्यक है।

अतः अपने अधीनस्थ प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) केवाईसी एवं आधार आथेन्टीफिकेशन के लिए समस्त संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को समयबद्ध रूप से कार्य निष्पादन हेतु निर्देश प्रदान कराने का श्रम करें। साथ ही विशेष रूप से जिलों में नोडल महाविद्यालयों को उनसे सम्बद्ध कॉलेजों का दिनांक 25.11.2021 तक अनिवार्यतः आधार आथेन्टीफिकेशन करवाने हेतु निर्देशित करने का भी श्रम करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार जिलेवार स्थिति

भवदीय,

18.XI.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 9295-9333

क्रमांकः-एफ 4 (6)/अ.स.नि/प्री-मैट्रिक/ 2021-22/ दिनांकः- 18/11/21

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस क्रम में जिला स्तरीय कार्यालयों/अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावें।
8. रक्षित पत्रावली।
9. D.M.O. All

(डॉ0 एम.ए. खान)
अतिरिक्त निदेशक

Destop/Sarfidin Sir Foldar/Scholarship Foldar/Letter/32

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ 23(60)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2021–22/941 दिनांक– 08/09/2022

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं विधवा/परित्यक्तयता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना वर्ष 2021–22 हेतु विद्यार्थियों/छात्राध्यापिकाओं से आक्षेप पूर्ति हेतु, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालयों को फॉरवर्ड एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फॉरवर्ड करने के संबंध में।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं विधवा/परित्यक्तयता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना वर्ष 2021–22 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों/छात्राध्यापिकाओं से आक्षेप पूर्ति, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय को फारवर्ड हेतु छात्रवृति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं	योजना का नाम	छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु	महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड हेतु	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय को फारवर्ड हेतु
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना वर्ष 2021–22 के विद्यार्थियों हेतु	13.09.2022 तक	16.09.2022 तक	जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच हेतु 22.09.2022 तक
2	विधवा/परित्यक्तयता मुख्यमंत्री (बी. एड.) सम्बल योजना वर्ष 2021–22 की छात्राध्यापिकाओं हेतु	13.09.2022 तक	16.09.2022 तक	22.09.2022 तक

विद्यार्थियों/छात्राध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि आक्षेप पूर्ति का यह अंतिम अवसर है, इसके उपरान्त उनके स्तर पर शेष रहे आवेदन निरस्त समझे जावेंगे।

संबंधित महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय अपने स्तर से छात्राओं से दूरभाष पर सम्पर्क कर आक्षेप दूर करवाकर उन्हें ऑनलाइन फारवर्ड करवाने की कार्यवाही करें। यदि किसी भी महाविद्यालय/ज़िला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी/छात्राध्यापिका किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

(हरिसिंह मीणा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक–एफ 23(60)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2021–22/942 दिनांक– 08/09/2022
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1 प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx